न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी:— जय कौशिक आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या:— 578/2024
वादपत्र अन्तर्गत धारा :— 88/53 आरटीए

1. जयमलराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. फताराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. मदनलाल पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. भिलखीराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

वनाम

1. अमित कुमार पुत्र श्री औमप्रकाश जाति जटसिख निवासी जोड़किया तह. व जिला हनुमानगढ़।
2. कुलदीप सिंह पुत्र श्री मलकीत सिह जाति जटसिख निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. जगदीप सिह पुत्र श्री मलकीत सिह जाति जटसिख निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. प्रगट सिह पुत्र श्री मलकीत सिह जाति जटसिख निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :—

1— श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादीगण
2— श्री गगन मिढा — वकील प्रति सं. 1 ता 4
3— तहसीलदार राजस्व संगरिया— राज—पैरोकार प्रति.संख्या 5

दिनांक :— 19.12.2024

निर्णय

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके तथ्य निम्नानुसार है कि वादीगण के नाम से तहसील संगरिया के चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 129/73 जमाबन्दीं सम्वत 2070—2073 में 1.771 है.कृषि भूमि तथा चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 में प्रत्येक का 101/13410 हिस्सा अर्थात कुल 0.202 है. तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.443 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दीयों की प्रमाणित प्रतिलिपियां संलग्न वाद पत्र है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की संयुक्त खाता की संयुक्त आराजी है। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ने वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का घरू विभाजन अच्छी मन्दी अनुसार कर लिया था। मुताबिक घरू विभाजन वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 काबिज होकर काश्त कर रहे। मुताबिक घरू विभाजन एंव तबादलानुसार तहसील संगरिया के चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070—2073 में [illegible] 1.771 है. कृषि भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 को 0.253 है. कृषि भूमि [illegible] कर वादीगण का बहिब हिस्सा कम किया जावें। इसी प्रकार वादीगण के नाम से चक 14 [illegible] संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2073—73 में प्रत्येक का 101/13410 हिस्सा अर्थात कुल 0.202 है. तथा प्रतिवादी सं[illegible] नाम से 1.443 है. कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.645 है कृषि भूमि में से वादीगण को 0.379 [illegible] भूमि बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम करवाना चाहते है। इसी तरह की

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

संयुक्तानुसार डिक्री वादीगण प्राप्त करने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि में जो कि संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है। जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादीगण के नाम से बंटवारा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने के कारण सभी प्रतिवादीगण के आपस लोगों के प्रभाव में होने व उक्त भूमि आय को अपने निजी खर्चों पर खर्च करने के कारण वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य विवाद हो गया व आपस में कटुता पैदा हो गई। इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादीगण व प्रतिवादीगण के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि विभाजन अनुसार निम्नप्रकार से प्राप्त हुई है :-

1. वादीगण जगमालराम पुत्र श्री पालीराम, कालूराम पुत्र श्री पालीराम, मदनलाल पुत्र श्री पालीराम एवं मिलखीराम पुत्र श्री पालीराम समस्त जाति जाट निवासीगण 12 एमजेडी मिलकियावाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की वर्णित कृषि भूमि

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070-73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124/184	60	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है. 9, 12, 19, 22/0.253 है.प्र. कुल 1.518 है.मय नै.मु. कृषि भूमि

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070-73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124/184	60	21/0.253 है.
124/185	59	18/2/0.127 है. कुल 0.379 है. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी संख्या 1 अमित कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जटसिख निवासी जोड़कियां तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070-73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124/185	59	1/3/0.234 है. 1/4/0.019 है. 9 ता 12/0.253 है.प्र. कुल 1.265 है.मय नै.मु. कृषि भूमि

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070-73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124/185	59	2/3/0.234 है. 2/4/0.019 है. कुल 0.253 है. मय कृषि भूमि

वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार वादीगण खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हित एवं स्वत्व निहित है। वादीगण ने वाद पत्र की चरण संख्या 4 के अनुसार वादीगण को बंटवारानुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण को बंटवारानुसार खातेदार काश्तकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे आखिर ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। यही वाद कारण है।

अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर [illegible] वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावे कि मुताबिक बंटवारा ता[illegible] संख्या के चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 [illegible] कृषि भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार [illegible] वादीगण का बहिस्सा हिस्सा कम किया जावे। तथा इसी प्रकार वादीगण के नाम चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में प्रत्येक का 101/13410 हिस्सा अर्थात कुल 0.202 है. तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.443 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.646 है. कृषि भूमि मे से वादीगण को 0.370 है. कृषि भूमि के बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किया जावे।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर रिमेंडर की रिपोर्ट ली गई। वाद-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता उपस्थित होकर अपना जवाबदावा पेश कर वाद को स्वीकार किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य वादी में वादी कंसाराम पुत्र पालीराम ने अपना शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी प्रस्तुत कर फार्म नं. 3 के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी चक 14 एमजेडी खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 एव इसी चक के खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 प्रदर्श करवाई। वकील वादीगण एवं प्रतिवादीगण ओर साक्ष्य पेश नही करने के कारण साक्ष्य वादी एवं प्रतिवादी बन्द किये गये।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने कथन किया कि चक 14 एमजेडी खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 एव इसी चक के खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में प्रतिवादीगणों के साथ सांझा खाता मे आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है जिसका [illegible] घरू बंटवारा कर अच्छी मन्दी अनुसार विभाजन/तबादला कर लिया है। बहस में यह भी कथन किया कि वाद में वादीगण व प्रतिवादीगण आपस मे सहमत है और सहमति का जवाब दावा भी पेश हो चुका है एवं वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नही किया इस आधार पर वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। तथा वकिल प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने भी वाद पत्र को स्वीकार कर डिक्री किये जाने हेतु अपनी सहमति दौराने बहस दी गई।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णितानुसार चक 14 एमजेडी खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 एव इसी चक के खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में वादग्रस्त आराजी दर्ज है जो प्रदर्श 1 ता 2 से साबित है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये अधिवक्ता जवाबदावा पेश कर वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किये जाने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की गई है। जिसकी वाद पत्र के तथ्यों से पुष्टि हो रही है। दस्तावेजी साक्ष्यों से वाद वादी साबित है। पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वादीगण के वाद का प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया गया। प्रकरण में सहमति का जवाब दावा पेश हो चुका है। परिणाम स्वरूप वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादीगण डिक्री किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

अतः उक्त विवेचन के आधार वादी का वाद पत्र आंशिक स्वीकार कर निम्नानुसार डिक्री किया जाता है कि चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में वादीगण के नाम से 1.771 है. कृषि भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण का बहिब हिस्सा कम किया जाने तथा इसी चक का वादीगण के नाम चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में [illegible] हिस्सा अर्थात कुल 0.202 है. एवं प्रतिवादी संख्यां 1 के नाम से 1.[illegible] है कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.645 है. कृषि भूमि मे से वादीगण को 0.379 है. कृषि भूमि के बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः-

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वादीगण अयमलराम पुत्र श्री पालीराम, फत्ताराम पुत्र श्री पालीराम, मदनलाल पुत्र श्री पालीराम एवं मिलखीराम पुत्र श्री पालीराम समस्त जाति जाट निवासीगण 12 एमजेडी पिलानियावाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की बहिद्र कृषि भूमि :-

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070--73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124 / 184	50	1/1/0.228 है. 1/2/0.025 है. 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है. 9, 12, 19, 22/0.253 है.प्र. कुल 1.518 है.मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070--73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124 / 184	50	21/0.253 है.
124 / 185	59	18/2/0.127 है. कुल 0.379 है. कृषि भूमि

2. प्रतिवादी संख्या 1 अमित कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जटसिख निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :-

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070--73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124 / 185	59	1/3/0.234 है. 1/4/0.019 है. 9 ता 12/0.253 है.प्र. कुल 1.265 है.मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070--73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124 / 185	59	2/3/0.234 है. 2/4/0.019 है. कुल 0.253 है. मय कृषि भूमि

अतः पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:24 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री बमुकदमे ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :– 88 / 53 आरटीए

प्रकरण संख्याः– 578 / 2024

1. जयमलराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
2. फताराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. मदनलाल पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. मिलखीराम पुत्र श्री पालीराम जाति जाट निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. अमित कुमार पुत्र श्री औमप्रकाश जाति जाट निवासी जोड़किया तह. व जिला हनुमानगढ।
2. कुलदीप सिंह पुत्र श्री मलकीत सिह जाति जटसिख निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
3. जगदीप सिंह पुत्र श्री मलकीत सिह जाति जटसिख निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
4. प्रगट सिह पुत्र श्री मलकीत सिह जाति जटसिख निवासी 12 एमजेडी पिलानिया वाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कराई रूबरू हमारे बहाजरी श्री कुलदीप मूण्ड वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गगन मिढा वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में वादीगण के नाम से 1.771 है. कृषि भूमि मे से प्रतिवादी संख्या 1 को 0.253 है. कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर वादीगण का बहिब हिस्सा कम किया जावे तथा इसी प्रकार वादीगण के नाम चक 14 एमजेडी के खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070–2073 में प्रत्येक का 101/13410 हिस्सा अर्थात कुल 0.202 है. तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से 1.443 है. कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.645 है. कृषि भूमि मे से वादीगण को 0.379 है. कृषि भूमि के बहिब खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा कम किये जाने के आदेश दिये जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते हैः–

1. वादीगण जयमलराम पुत्र श्री पालीराम, फताराम पुत्र श्री पालीराम, मदनलाल पुत्र श्री पालीराम एवं मिलखीराम पुत्र श्री पालीराम समस्त जाति जाट निवासीगण 12 एमजेडी पिलानियावाली ढाणी तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की बहिब कृषि भूमि :–

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 12[illegible]बन्दी सम्वत 2070–73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	[illegible]
124 / 184	50	1/1/0.[illegible] है. [illegible] है. 2/1/0.228 है. 2/2/0.025 है. [illegible] है.प्र. कुल 1.518 है.मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 10/[illegible] जमाबन्दी सम्वत 2070–73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124 / 184	50	21/0.253 है.
124 / 185	59	18/2/0.127 है. कुल 0.379 है. कृषि भूमि

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:24 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

2. प्रतिवादी संख्या 1 अमित कुमार पुत्र श्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी जोड़किया तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की कृषि भूमि :–

चक 14 एमजेडी खाता संख्या 10/39 जमाबन्दी सम्वत 2070–73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124/185	59	1/3/0.234 है. 1/4/0.019 है. 9 ता 12/0.253 है.प्र. कुल 1.265 है.मय गै.मु. कृषि भूमि
चक 14 एमजेडी खाता संख्या 129/73 जमाबन्दी सम्वत 2070–73		
पत्थर नम्बर	मुरब्बा नम्बर	किला नम्बर
124/185	59	2/3/0.234 है. 2/4/0.019 है. कुल 0.253 है. मय कृषि भूमि

नोट :– यदि वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निजन X नल X मुब्लिक X निल X बाबत X निल 100/- खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक X अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 19.12.2024 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Kaushik
Date: 2025.01.31 14:27:24 IST
Reason: SelfAttested